भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-442

उत्तर देने की तारीख-05/02/2024

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना

†442. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

श्री राहुल रमेश शेवाले:

श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में राज्य-वार कितने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी देश भर के महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो देश भर के महाविद्यालयों से कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और आज की स्थिति के अनुसार उनकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशिष्ट अनुमोदन के बिना सामान्य डिग्री कार्यक्रम संचालित करने का अधिकार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी उच्च शिक्षा के बढ़ते स्तर के परिणामस्वरूप शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई है परन्तु इससे शिक्षा की गुणवत्ता में अत्यधिक संकट उत्पन्न हुआ है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या विशेषज्ञों ने निम्न गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा के बारे में बार-बार चेतावनी दी थी और कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में विफल हो रहे हैं और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या ठोस उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत पांच वर्षों के दौरान देश में 140 राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं। इन विश्वविद्यालयों का

राज्य-वार एवं वर्ष-वार विवरण https://www.education.gov.in/parl_ques में दिया गया है।

(ख): स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक देश भर के कॉलेजों से 328 प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से 196 पर यूजीसी द्वारा विचार किया गया है और उनको अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, यूजीसी को स्वायत्त दर्जे के विस्तार के संबंध में 83 प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से 71 पर यूजीसी द्वारा विचार किया गया है और अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग): राज्य निजी विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के अनुसार कवर किए गए हैं और जहां भी आवश्यक हो, नियामक/सांविधिक प्राधिकारियों के अनुमोदन से यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत विनिर्दिष्ट डिग्री प्रदान करने के लिए सशक्त हैं। इसलिए, सामान्य डिग्री कार्यक्रम पेश करने के लिए यूजीसी से किसी विशेष अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, व्यावसायिक एवं चिकित्सा संबंधी कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा प्रदान की जाती है।

(घ) से (च): यूजीसी ने अनुसंधान उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने, उद्योग, सरकार, समुदाय-आधारित संगठनों और स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियों के मध्य सहयोग बढ़ाने तथा संसाधन और निधियां जुटाने के माध्यम से अनुसंधान तक व्यापक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ (आरडीसी) की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा नया ज्ञान सृजित करने, विश्वसनीय, प्रभावशाली और सतत अनुसंधान आउटपुट के लिए एक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और बौद्धिक विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद करना भी है जो गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देगा। वर्तमान में, देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में 1500 से अधिक आरडीसी स्थापित किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए डिग्री प्रोग्राम में अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप को शामिल करने के लिए वर्ष 2020 में इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम को पेश करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एचईआई द्वारा उद्योग विशेषज्ञों और पेशेवरों को एचईआई में अतिथि संकाय के रूप में अपने लंबे करियर के दौरान अर्जित ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करने के लिए नियोजित करने में समर्थकारी बनाने के लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स को नियोजित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यकतानुसार और प्रकाशित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर्स को नियुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों हेतु सतत और वाइब्रेंट विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज सिस्टम पर दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में

विश्वविद्यालय-उद्योग (यूआई) सहयोग के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है ताकि संकाय और छात्रों को शामिल करके उच्च सामाजिक प्रासंगिकता की व्यावहारिक अनुसंधान एवं विकास समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसका उद्देश्य देश भर के उद्योगों/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संगठनों/सामाजिक संगठनों सहित अन्य संगठनों में प्रशिक्षण के अवसर और प्रशिक्षुता के अवसर सृजित करना भी है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भाग लेने के लिए भावी संस्थानों के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की है और नियोक्ता प्रतिष्ठा सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग संघों के साथ कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं, जो अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, एचईआई को उनके मापदंडों के अनुरूप करने के लिए रैंकिंग संगठन के साथ क्षमता निर्माण सत्र भी आयोजित किए गए थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पहलें भी की गई:

i. यूजीसी ने दिनांक 02.05.2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग) विनियमों को अधिसूचित किया।
ii. बहु-विषयक शिक्षा की संकल्पना को लागू करने की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 02.09.2022 को "उच्च शैक्षिक संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में परिवर्तित करने संबंधी दिशानिर्देश" जारी किए।

इन समस्त पहलों के परिणामस्वरूप "क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग" में स्थान पाने वाले भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग (डब्ल्यूयूआर) 2014 में 9 से बढ़कर डब्ल्यूयूआर 2024 में 45 हो गए हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या भी 2019 में 49 से बढ़कर 2024 में 91 हो गई है और क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय-एशिया रैंकिंग 2024 में शामिल 856 में से 148 विश्वविद्यालयों के साथ भारत सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बना हुआ है एवं भारत की ओर से सबसे अधिक 37 नए प्रवेशक विश्वविद्यालयों के रूप में भी योगदान है। इसके अतिरिक्त, एल्सेवियर रिपोर्ट के अनुसार, प्रकाशनों की कुल संख्या भी (2012-2016) में 6,61,912 से बढ़कर (2017-2021) में 10,12,624 हो गई है।

*****